

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 527 / 10

संस्थित दिनांक-20.08.10

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मौ
जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. उदयसिंह उर्फ उदयवीर पुत्र गंगाराम यादव उम्र 26 साल
2. लला उर्फ उमेश पुत्र रुस्तमसिंह यादव उम्र 25 साल
3. रुस्तमसिंह पुत्र ठाकुरदास यादव उम्र 52 साल
4. भीकमसिंह पुत्र रुस्तमसिंह यादव उम्र 26 साल
5. भूरेसिंह पुत्र गंगाराम यादव उम्र 23 साल

निवासीगण ग्राम लोहारपुरा थाना मौ जिला भिण्ड.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 15.11.2016 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 324 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 10.03.12 को सुबह 9 बजे लोहारपुरा मौ में आहत बलवीर को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 323/149 एवं 294 के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 324 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी बलवीर यादव अपने खेत को दिनांक 10.03.12 को सुबह 8-9 बजे जा रहा था। मिडिल स्कूल लोहारपुरा के पास पहुंचा तो वहां खेत तरफ से भूरे और उसके साथ कुल्हाड़ी लिए उदयसिंह आया। उदयसिंह ने कुल्हाड़ी का बेंट मारा तो फरियादी जमीन पर गिर गया फिर कुल्हाड़ी मारी जो दाए हाथ में लगी, खून निकल आया। अभियुक्त भूरेसिंह ने दांत से काट लिया। रुस्तम, भीकम, लला आ गए जिन्होंने गाली गलौंच की और पकड़कर झाकर (कटीली झाड़ियों) में पटक दिया और लातघूंसे से मारपीट की। राहुल, राजवीर व राकेश तथा मुन्ना यादव आ गए जिन्होंने बीच बचाव किया। उक्त आशय की रिपोर्ट से अदम चैक

06/12 लेख की गयी। चिकित्सीय परीक्षण कराए जाने पर आहत को धारदार वस्तु से चोट होने के कारण अप०क०-57/12 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्तगण को पद क० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या दिनांक 10.03.12 को सुबह 9 बजे आहत बलवीर को धारदार हथियार की कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति ?

2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान मिडिल स्कूल के पास अभियुक्तगण ने आहत बलवीर को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाकर स्वेच्छा उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा० आर० विमलेश अ०सा० 1, बलवीर अ०सा० 2, मुन्नासिंह अ०सा० 3, राहुलसिंह अ०सा० 4, राकेश अ०सा० 5 व राकेश अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

7. प्रकरण में फरियादी बलवीर अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि घटना उनके साक्ष्य से 3-4 साल पहले सुबह 8-9 बजे की है वे लोहारपुरा तरफ जा रहे थे, स्कूल के पास आरोपीगण मिले और उनसे उसका मुंहवाद हो गया और धक्का मुक्की हो गयी जिससे वह जमीन पर गिर गया, जमीन पर पड़ा हुआ कांच उसे लग गया। साक्षी कथन करता है कि उसने इसकी शिकायत थाना मौ में उसी दिन की थी, इसके अलावा और कुछ न होना बताते हैं। इस प्रकार से साक्षी द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण से मुंहवाद एवं धक्का मुक्की में उसे चोटें कारित होने का कथन किया गया है, किसी अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी जैसी धारदार वस्तु से उपहति कारित करने के संबंध में व दांत से काटकर चोट पहुंचाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। प्रकरण में घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी राहुल अ०सा० 4, मुन्नासिंह अ०सा० 3 तथा राजवीर अ०सा० 6 तथा राकेश अ०सा० 5 बताए गए हैं जिसमें राहुल फरियादी का पुत्र है। उक्त सभी साक्षीगण अपने अभियोजन साक्ष्य में घटना के बारे में कोई भी जानकारी न होने का कथन करते हैं और अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किए गए हैं। इस प्रकार से फरियादी व साक्षियों द्वारा अभियोजन का मामला संदेहास्पद बना दिया है।

8. प्रकरण में साक्षी डा० आर० विमलेश अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी बलवीर को सुसंगत समय एवं दिनांक पर शरीर पर धारदार वस्तु की चोट होने के संबंध में कथन करते हैं। फरियादी ने उसे चोट कारित होने से इंकार नहीं किया है और अभियुक्तगण की ओर से भी फरियादी को आई चोटों को चुनौती नहीं दी गयी है जिससे यह तथ्य तो प्रमाणित है कि घटना दि० 10.03.12 को सुबह 9 बजे फरियादी बलवीर को शरीर पर चोटें धारदार वस्तु से कारित होना पाई गयी। किन्तु चिकित्सक घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं ऐसे में उसकी अभिसाक्ष्य विशेषज्ञ के रूप में कार्य के परिणाम अर्थात् चोटों के संबंध में तो सुसंगत है किन्तु चोट किस रीति से कारित हुई इस संबंध में साक्षी की साक्ष्य आहत व चक्षुदर्शी साक्षियों की साक्ष्य पर अधिभावी नहीं हो सकती है। साथ ही आहत द्वारा उसे आई चोटों के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण इस प्रकार का है जो कि आहत की चोटों को अभिपुष्ट करता है।

9. प्रकरण में फरियादी बलवीर को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्नों में कुल्हाड़ी से अभियुक्त भूरे द्वारा चोट पहुंचाने व भूरे द्वारा दांतों से काट लेने के संबंध में सुझाव दिया गया तो साक्षी द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से उक्त सुझाव से इंकार किया और कथन किया कि वह गिरा तो उसे कांटा या कांच लग गया जो वहां पर पड़ा हुआ था। इस प्रकार से यह साक्षी अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण के स्वेच्छिक कृत्य के संबंध में कोई भी कथन नहीं करते हैं। संहिता की धारा 324 के अधीन उपहति अभियुक्त या अभियुक्तगण द्वारा किसी असन, भेदन, या काटने वाले उपकरण जिसे आक्रामक आयुध के तौर पर प्रयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ या विष या संक्षारणीय पदार्थ द्वारा या विस्फोटक पदार्थ द्वारा या ऐसे पदार्थ जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव जीवन के लिए हानिकारक हो अथवा किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित की जाती है तो ही उक्त आरोप प्रमाणित हो सकता है। प्रकरण में अभियुक्तगण धक्का मुक्की हो जाने के संबंध में अवश्य कथन किया गया है किन्तु उक्त धक्का मुक्की में किसी धारदार वस्तु का प्रयोग किया हो या किया जाना आशयित हो ऐसा फरियादी द्वारा व किसी भी साक्षी द्वारा कथन नहीं किया गया है।

10. फरियादी बलवीर अ०सा० 2 रिपोर्ट प्र०पी० 2 में अपना अंगूठा लगाना बताता है किन्तु उक्त रिपोर्ट प्र०पी० 2 के बी से बी भाग पर स्पष्ट रूप से कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाने व दांतों से काटने के संबंध में कोई तथ्य लेख कराए जाने से इंकार किया है। फरियादी बलवीर अ०सा० 2 एवं शेष साक्षियों के पुलिस कथनों प्र०पी० 3 लगायत 7 के विनिर्दिष्ट भागों जिनका भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 145 के अधीन ध्यान दिलाकर परीक्षण किया गया, उक्त भागों का कथन दिए जाने से इंकार किया है। प्राथमिकी सारवान साक्ष्य नहीं हैं, यह सुस्थापित है। न्यायदृष्टान्त— रवि कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 एवं न्यायदृष्टान्त— ए आई आर 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज—1

की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दफ़्तर के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है।

11. उपरोक्त विवेचन के अधीन अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः अभियुक्तगण संदेह के आधार पर धारा 324 भादवि० से दोषमुक्त किया जाता है।

12. अभियुक्तगण की जमानत भारमुक्त की जाती है। उनके निवेदन पर मुचलका निर्णय से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

13. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही /—

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही /—

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी
(शासकीय / विधिक उपयोग)